न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र :112/2018
निर्णय दिनांक : 08.02.2022

1. भंवरलाल पुत्र स्व श्री नाथ्या
2. गट्टूराम पुत्र स्व श्री नाथ्या
3. दीपक पुत्र स्व श्री ग्यारसीलाल
4. मीना पुत्री स्व श्री ग्यारसीलाल
5. रामा पत्नी स्व श्री ग्यारसीलाल

समस्त जातियान् कुम्हार, निवासीगण ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ठिकरिया तह0 सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खाता संख्या 5 खसरा नम्बर 602, 603, 604 स्थित है, उक्त कृषि भूमि का दौराने बंदोबस्त दिनांक 26.12.1988 खसरा नम्बर 602 में बटा नम्बर 602/1156 रकबा 0.07 से कम होकर प्रार्थीगण के पूर्वज कल्याण पुत्र जोधा हिस्सा 1/5 भंवरलाल, रामनारायण, कल्याण, छोटू पिता भौरिया हिस्सा 3/8 कौम कुम्हार के दर्ज होने के आदेश फरमाये गये।

इसी प्रकार से ग्राम ठिकरिया तह0 सांगानेर स्थित खाता संख्या 84 खसरा नम्बर 493, 539, 537, 539, 538, 540 स्थित है, जिसका जरिये नामान्तकरण संख्या 34 राजस्व भू–अभियान दिनांक 26.12.1988 के अनुसार खसरा नम्बर 539, 537, 540, 541 कुल किता 4 कुल रकबा 9.06 किस्म बारानी दोयम 1–06 लगानी 6–96, गै0मु0 0.09 खाता संख्या 84 से कम किया जाकर कल्याण पुत्र जोधा हिस्सा 1/4 भंवरलाल, रामनारायण, हनुमान, कल्याण, छोटू पि0 भौरिया हिस्सा 3/4 कौम कुम्हार सा. देह. के नाम दर्ज किया समझा जावे के आदेश पारित किये गये। प्रार्थी संख्या 1 व 2 के दादा तथा प्रार्थी संख्या 3 व 4 के परदादा व प्रार्थी 5 के दादा ससुर जोधा हुये। जिनके तीन पुत्र प्रार्थी संख्या 1, 2 प्रार्थी संख्या 3 व 4 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 5 के पति ग्यारसीलाल हुये। इस प्रकार से प्रार्थीगण के परिवार में कल्याण नाम का कोई व्यक्ति नही है। दौराने बंदोबस्त, बंदोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकारिता के सहवन से नाथ्या पुत्र जोधा की जगह मनमाने तरीके से कल्याण पुत्र जोधा अंकित कर दिया जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाकर नाथ्या पुत्र जोधा अंकित करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की

मद संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि में कल्याण पुत्र जोधा के स्थान पर नाथ्या पुत्र जोधा दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सांगानेर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्राप्त पत्रावली में शामिल मिसल है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में टंकण त्रुटी सुधार करवाने हेतु दिनांक 14.09.2021 को प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत् टंकण त्रुटी स्वीकार किया गया। तहसील सांगानेर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम ठीकरिया की आधार जमाबन्दी सवंत 2055 में खाता संख्या 84 में नाथ्या पि0 जोधा 1/4 कुम्हार शेष बदस्तुर दर्ज रेकार्ड था। नामान्तकरण संख्या 34 राजस्व अभियान 26.12.1988 के द्वारा खाते में बेचान का इन्द्राज किया गया। जिसमें विक्रेता कानाराम, चन्दाराम पुत्रान् कालूराम कुम्हार व श्रवणलाल, गणेशराम, सायरराम पुत्रान् श्री मुंशीराम मां संरक्षिका ग्यारसी देवी बेवा मुंशीराम कुम्हार सा. देह के बजाय क्रेतागण भंवरलाल, रामनारायण, कल्याण, हनुमान, छोटू, पुत्रान् भौरिया कुम्हार सा. देह का नाम दर्ज किया गया। उक्त नामान्तकरण का जमाबन्दी में अमल के बाद खाता नाथ्या पि. जोधा 1/4 भंवरलाल, रामनारायण, हनुमान, कल्याण, छोटू पि. भौरिया 3/4 जाति कुम्हार सा. देह के नाम दर्ज होना चाहिए था। किन्तु नाथ्या पि. जोधा 1/4 के बजाय कल्याण पि. जोधा दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। इसी प्रकार बदर पत्रावली संख्या 61 दिनांक 14.12.1995 से भी खसरा नम्बर 602/1156 रकबा 0.08 में सहवन से कल्याण पि0 जोधा दर्ज किया गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 539, 540, 541, 537 व 602/1156 में नाथ्या पि. जोधा का नाम कल्याण पि. जोधा कुम्हार दर्ज किया गया जो कि गलत है। अतः उपरोक्त खसरों में संलग्न जमाबन्दी व विक्रय पत्र का अवलोकन करने पर कल्याण पि0 जोधा के बजाय नाथ्या पि0 जोधा कुम्हार दर्ज किया जाना उचित होगा।

प्रार्थीगण अधिवक्ता बहस सुनी गई तथा तहसील सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसील सांगानेर की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बरान् 539, 540, 541, 537 व 602/1156 में नाथ्या पि. जोधा की जगह कल्याण पि. जोधा कुम्हार दर्ज किया गया जो कि गलत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर ग्राम ठिकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बरान् 539, 540, 541, 537 व 602/1156 कल्याण पि. जोधा कुम्हार के स्थान पर नाथ्या पि. जोधा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामल किये जाने के आदेश तहसीलदार सांगानेर को दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **08.02.2022** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर